

कार्यालय ज्ञाप

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में सीधी भर्ती से 2005 में मौलिक रूप से तैनात चपरासी/अर्दली को चपरासी/अर्दली के पद हेतु निर्धारित परिवीक्षा अवधि दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर स्तम्भ 06 में उल्लिखित तिथियों से चपरासी/अर्दली के पद पर स्थायी किया जाता है।

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम | वर्तमान में पदनाम | तैनाती का जनपद/स्थान | विभाग में चपरासी/अर्दली के पद पर योगदान की तिथि | परिवीक्षा अवधि समाप्त होने की तिथि |
|----------|----------------|-------------------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री किशन सिंह | चपरासी/अर्दली | जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, आगरा। | 29.04.2005 | 28.04.2007 |
| 2 | श्री शरद भारती | चपरासी/अर्दली | उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा। | 13.05.2005 | 12.05.2007 |


(शिखी यादव)
उपनिदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
आगरा मण्डल, आगरा।

कार्यालय उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, आगरा मण्डल, आगरा।

पत्रांक 282/उ०नि०/पि०व०क०/2017-18 आगरा : दिनांक 16 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, लखनऊ।
2. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
3. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, आगरा।
4. सम्बन्धित कार्मिक।
5. व्यक्तिगत पत्रावली/कार्यालय प्रति।


उपनिदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
आगरा मण्डल, आगरा।